प्रेस नोट
दिनांक 29.08.2024, थाना को0मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा गोवंशों की तस्करी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार -

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 403/2024 धारा 3/5A(i)/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुक्रूरता अधि0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को समय माता मन्दिर के पास रेलवे अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2024 को थाना को0मनकापुर के उ0नि0 अखिलेश राही मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु रात्रि क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टिकरी जंगल में फायर स्टेशन के पास छुट्टा गोवंश को पकड़ कर पिकप वाहन पर लाद रहे है प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा बताये गए स्थान पर घेराबन्दी किया गया था तो 04 अदद गोवंश व 01 अदद पिकप वाहन बरामद किया गया। अंधेरे का लाभ उठाकर अभियुक्त फरार हो गये थे। बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनाकं 29.08.2024 मु0अ0सं0-403/2024, धारा 3/5A(i)/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित गोवंश की तस्करी करने वाला वांछित विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को समय माता मन्दिर के पास रेलवे अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम अजबनगर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-403/2024, धारा 3/5A(i)/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार
02. हे0का0 इन्द्रेश कुमार
03. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 29.08.2024

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-193/24, धारा 457,380 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त महेश कुमार उर्फ गूँगे पाण्डेय पुत्र स्व0 बब्बन निवासी ग्राम करदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चडौवा मोड मनकापुर चन्दहा मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4000/- नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
वादी अभय प्रताप पासवान पुत्र विजय कुमार पासवान निवासी ग्राम बहादुरा (धोबहा) थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.05.2024 को अज्ञात चोर द्वारा घर में घुसकर आलमारी व वक्शा का ताला तोड़कर कीमती जेवर व मोबाइल चोरी कर लिया गया है। । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 29.08.2024 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त महेश कुमार उर्फ गूँगे पाण्डेय पुत्र स्व0 बब्बन निवासी ग्राम करदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को चडौवा मोड मनकापुर चन्दहा मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4000/- नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. महेश कुमार उर्फ गूँगे पाण्डेय पुत्र स्व0 बब्बन निवासी ग्राम करदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-193/24, धारा 457, 380, 411 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 रामधारी दिनकर
02. हे0का0 सुरेन्द्रनाथ
03. का0 शत्रुधन गौड़

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 29.08.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को रूपये 50,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी राममुर्ति पुत्र नानमुन निवासी मधईपुर थाना को0देहात जनपद गोण्डा द्वारा दिनाकं 22.06.2021 को थाना को0देहात को सूचना दिया कि विपक्षी संतोष कुमार व कृष्ण नरायन ने उनकी पुत्री को मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिसकी दवा इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 247/2021, धारा 304 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अवनीश शुक्ला द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 05.04.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री रामदयाल द्वारा थाना को0देहात पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री घनश्याम पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 चन्दा व थाना को0देहात के पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 29.08.2024 को दोषी अभियुक्तों – 01. संतोष कुमार, 02. कृष्ण नरायन को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. संतोष कुमार पुत्र कृष्ण नरायन निवासी ग्राम पिढैया मौजा भगहर बुलंद थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

02. कृष्ण नरायन पुत्र बाबू लाल निवासी ग्राम पिढैया मौजा भगहर बुलंद थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 247/2021, धारा 304 भादवि थाना को0देहात, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।